हरिसिंह बनाम भीखाराम वगैरह
अपील संख्या 37/2024

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./37/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
हरिसिंह पुत्र देदाराम, जाति जाट, निवासी मालियों की ढाणी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	1. भीखाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी मालियों की ढाणी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 2. विशनाराम पुत्र देदाराम जाति जाट, निवासी मालियों की ढाणी गुड़ामालानी हाल नेहरू नगर बाड़मेर। 3. मृ. रामसिंह पुत्र पन्नेसिंह राजपूत के का. मु.– 3/1. मृ. मंगलसिंह पुत्र रामसिंह के का. मु.– 3/1/1. हंसकंवर बेवा मंगलसिंह जाति राजपूत 3/1/2. भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुत 3/2. मृ. मगसिंह पुत्र रामसिंह के का. मु. 3/2/1. दिलीपसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत 3/2/2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत 3/2/3. श्रीमती लीला बेवा मगसिंह जाति राजपूत 4. मृ. राणसिंह पुत्र परबतसिंह राजपूत के का. मु. – 4/1. सुआ कंवर पत्नी राणसिंह जाति राजपूत 4/2. ललु कंवर पुत्री राणसिंह जाति राजपूत 4/3. जसु कंवर पुत्री राणसिंह जाति राजपूत 5. मृ. रमेशचन्द पुत्र भंवरलाल जाट के का. मु. 5/1. मनोजकुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति जाट 5/2. सुरेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति जाट 5/3. कंचनदेवी पत्नी रमेशचन्द्र जाति जाट 6. श्रीमती नवली जोजे भंवरलाल जाति जाट निवासियान मालियों की ढाणी गुड़ामालानी 7. मैंनेजर भूमि विकास बैंक लि. बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 185/2001 बअनवान हरिसिंह वगैरह बनाम भीखाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2003 व रिव्यु प्रार्थना–पत्र संख्या 156/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अभिषेक जाखड़ उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हरिसिंह बनाम मीखाराम वगैरह
अपील संख्या 37/2024

—:निर्णय:—

दिनांक:—28.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1278 रकबा 75.05 बीघा, खसरा संख्या 1278/2 रकबा 31.15 बीघा, खसरा संख्या 1279 रकबा संख्या 06.07 बीघा, खसरा संख्या 1280 रकबा 29.08 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांट के साथ बराबर आधे हिस्से का सहकृषक बहैसियत कब्जा—काश्त होने के बावजूद भी वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। उक्त पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1278, 1278/2 व 1279 में अंकित खातेदार प्रतिवादी/अपीलांट के हिस्से के साथ—साथ वादी को भी सहखातेदार अंकित कर दिया एवं खसरा सख्या 1280 में 1/2 हिस्से का सहखातेदार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को घोषित कर दिया। जबकि खसरा संख्या 1278 में वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं था और न ही मौके पर कब्जे काश्त बाबत् कोई मौका रिपोर्ट थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2003 पारित की गई। उक्त निर्णय का ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त रिव्यु प्रार्थना—पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार रिव्यु आदेश मूल निर्णय एवं डिक्री में मर्ज हो जाने से अपील श्रीमानजी के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव व कब्जे—काश्त पर गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई—सबूत का अवसर दिये बाले—बाले ही पारित की गई। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1278 अपीलांट/प्रतिवादी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति है जो पैतृक सम्पत्ति का भाग नहीं थी, खसरा संख्या 1278 अपीलांट हरिसिंह की एकल स्वामित्व की सम्पत्ति थी। उक्त खसरा संख्या पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कभी भी काई कब्जा-काश्त नहीं रहा। खसरा संख्या 1278 पर मुझ अपीलांट हरिसिंह का 31 बीघा भूमि पर, रामसिंह का 20 बीघा भूमि पर एवं रमेश चन्द्र का 24.05 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तल्ब मौका मर्द पर भी अंकित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। माननीय मण्डल का बीघाराम बनाम विश्म्भर में यह स्पष्ट अधिमत है कि जहां पर किसी न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत सहमति के आधार पर कोई निर्णय/डिक्री पारित की जाती है तो उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उक्त अधिमत अनुसार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 22.10.2003 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों के विपरीत रिव्यु प्रार्थना-पत्र को परिसीमा के बिन्दु पर खारिज किया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के कई अधिमतों में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ हो एवं प्रकरण में न्याय का हनन हुआ हो वहां पर परिसीमा का बिन्दु गौण हो जाता है तो उस स्थिति में प्रकरण को परिसीमा के बिन्दु पर खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है। जहां तक राजीनामे का प्रश्न है तो उसके संबंध में अपीलांट का स्पष्ट मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा होने का उल्लेख है को आधार मान कर सहमति राजीनामा से डिक्री पारित करना बताया गया है जबकि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1278 रकबा 75.05 बीघा की एक इंच भूमि पर भी कभी भी कोई कब्जा-काश्त नहीं रहा है। फिर भी मौके पर कब्जे का तथ्य अपीलाधीन निर्णय डिक्री में दर्ज करवा दिया है जो पक्षकारान के आपसी राजीनामे के विपरीत है। ऐसा संप्रेषण लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हुआ प्रतीत होता है। उक्तानुसार अपीलांट के कब्जे काश्त का ध्यान नहीं रखा गया जिससे अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया प्रतीत होता है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की विभाजन प्रस्ताव नियमावली में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना का अभाव है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2003 एवं रिव्यु आदेश दिनांक 12.02.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का भी समस्त खसरो में बहामी बंटवारे अनुसार कब्जा–काश्त था। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश रिव्यु प्रार्थना–पत्र लगभग 18 वर्षों बाद पेश किया गया था। जो परिसीमा के बिन्दु से बाधित था। इतनी लम्बी अवधि को पर्याप्त कारणों के अभाव में माफ किया जाना विधि सम्मत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यु प्रार्थना–पत्र को परिसीमा के बिन्दु पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश में सहमति की डिक्री पारित करने का तथ्य उल्लेखित किया गया है ऐसे तथ्यों की कोई भी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादी के कब्जे काश्त में रेस्पो./वादी द्वारा न तो दखल किया गया और न ही कभी मौके पर आए। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान ही नहीं हुआ कि रेस्पों/वादी को खसरा संख्या 1278 का भी सहखातेदार घोषित किया गया है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ज्ञान के ही तथ्यों को छुपाते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम पर लिखित बहस प्रस्तुत कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाद अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद मौका रिपोर्ट पर भी अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलांट स्वयं पढे-लिखे एवं राजकीय सेवा में होने से इनको अज्ञानता की बातों पर विश्वास किया जाना उचित नहीं होगा। विधि अनुसार अपील करने की समय सीमा 60 दिवस है लेकिन हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा लगभग 18 वर्षो बाद पेश की गई है, जिसे बिना किसी वास्तविक कारण के माफ किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन वाद के विचारण के दौरान दिनांक 10.09.2001 को अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति देकर जवाब दावा, बयान, मौका रिपोर्ट व समस्त दस्तावेजात पेश किये जिसमें अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर थे। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा वादी का माफिक वाद स्वीकार किया गया था। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.10.2021 को जानकारी में आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जारी किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है जिस पर अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ एवं हस्ताक्षर किये। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

1. RRT 2011(2) Page 51
2. CCC 2016(1) Page 165
3. RRT 2014(2) Page 1331
4. RLW 2012(3) Page 2142
5. DNJ 2011(2) Page 903

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार पारित नहीं किया गया है। क्योंकि पक्षकारान के मौक पर कब्जा-काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मौके के अनुसार निर्णय किया जाना चाहिये था।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2003 में स्पष्ट अंकन है कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1278 में अपीलांट का कब्जा–काश्त नहीं था। उक्त खसरा संख्या 1278 पर अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट पक्षकार का कब्ज–काश्त होना बताया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत अपीलाधीन निर्णय में पक्षकारों के कब्जे–काश्त अनुसार हिस्सों की घोषणा नहीं की गई जो विधि द्वारा वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा पेश साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 185/2001 बअनवान हरिसिंह वगैरह बनाम भीखाराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.10.2003 एवं रिव्यु प्रार्थना–पत्र संख्या 156/2021 निर्णय दिनांक 22.02.2024 को अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर